।। कार्यालय पुलिस थाना अम्बामाता जिला उदयपुर राज0।।

कमांकः–307 **दिनांकः– 13.01.2021**

सेवा में,

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय
जिला उदयपुर (जि.वि.शा.)

विषयः– परिवाद द्वारा श्री ज्ञानेश कुमार में जॉच रिपोर्ट के सम्बन्ध मे।
प्रसंग :– राजस्थान सम्पर्क सीएम हेल्प लाईन वेब पोर्टल पर प्राप्त परिवाद कमांक 01210679245983 की पालना मे।

महोदय,

उपरोक्त विषय एवं प्रासंगिक पत्र की पालना मे निवेदन है श्रीमान कार्यालय से राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर पेश शुदा परिवाद प्रार्थी श्री ज्ञानेश कुमार मोबाईल न. 9828346151 का परिवाद इस आशय का प्राप्त हुआ कि **दिनांक 31/12/2020 को प्रमुख समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका जयपुर संस्करण में प्रकाशित खबर शीर्षक "एक माह से फतहसागर किनारे दहशत में रह रहा परिवार " के सम्बन्ध में|**

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में प्रार्थिया श्रीमती रुपा पत्नी श्री शम्भुलाल गमेती उम्र 22 साल निवासी कदमाल थाना गोगुन्दा हाल सामुदायिक भवन ओड बस्ती मल्लातलाई थाना अम्बामाता जिला उदयपुर ने दिनांक 29.09.2020 को मय अपने पति श्री शम्भुलाल गमेती के थाना अम्बामाता पर उपस्थित हो एक टाईपशुदा रिपोर्ट की पेश की जिस पर प्रकरण संख्या 334/2020 धारा 342, 376घ भा.द.स. व 3(2)(V)एस.सी/एस.टी एक्ट थाना अम्बामाता जिला उदयपुर पर दर्ज किया ।

बाद अनुसंधान से अभियुक्तगण 1. श्री मोहम्मद शकील पिता मुस्तकीम खान जाति मुसलमान उम्र 31 वर्ष पेशा ड्राईवर निवासी पानी की टंकी वाली गली सज्जन नगर थाना अम्बामाता जिला उदयपुर, 2. श्री मोहम्मद ईरफान पिता लियाकत हुसैन जाति मुसलमान उम्र 34 वर्ष पेशा पेन्टर निवासी भिश्ती मोहल्ला सदर बाजार खैरवाडा थाना खैरवाडा हाल मस्तान बाबा दरगाह के बाहर थाना अम्बामाता जिला उदयपुर के विरुद्ध अपराध धारा 342, 376घ भा.द.स. व 3(2)(V)एस. सी/एस.टी एक्ट व अभियुक्त 3 श्री मुरली जादु पिता श्रीलाल जादु जाति वाल्मिकी उम्र 30 वर्ष निवासी 470 पेशा सफाईकर्मी निवासी 470 गांधी नगर कच्ची बस्ती थाना अम्बामाता जिला उदयपुर के विरुद्ध अपराध धारा 342, 376घ भा.द.स. में चार्जशीट नम्बर 228/2020 दिनांक 4.12.2020 को कता कर श्रीमान विशिष्ट न्यायालय एससी/एसटी कोर्ट उदयपुर में दिनांक 16.12.2020 को पेश की गई ।

दिनांक 31.12.2020 को पीडिता एवं उसके परिवार द्वारा फतहसागर झील के पास खाली जगह पर रहने का मालुम होने पर पुलिस के उच्च अधिकारियों के आदेशानुसार मुझ थानाधिकारी मय जाब्ता के मौके पर पहुॅच कर पीडित पररिवार को अपने सारे समान सहित सामुदायिक भवन में वापस ठहराया गया ,खाने पीने की समुचित व्यवस्था करवाई गई ,सर्दी से बचाव के लिये कम्बल

दिये गये एवं दानदाताओं के सहयोग से खने पीने व सर्दी के बचाव की समुचित व्यवस्था करवाई गई , सुरक्षा हेतु पुलिस के दो जवान तैनात किये गये मामला हाजा के आरोपीगण वर्तमान में न्यायिक अभिरक्षा में है एवं आरोपीगण के परिजनों को पीडिता एवं पीडिता के परिजनों को परेशान नही करने हेतु पाबन्ध किया गया एवं धारा 107,116(3)जा0फो0 की कार्यवाही अमल में लायी गयी । पीडिता का पूर्व में अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र बना हुआ नही था जिसका प्रकरण दर्ज होने के बाद जाति प्रमाण पत्र बनवाया जाकर आर्थिक सहायता हेतु समाज कल्याण विभाग को पत्र प्रेषित किया गया। रिपोर्ट श्रीमान की सेवामें पेश है।

भवदीय

थानाधिकारी
थाना अम्बामाता , उदयपुर